न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/152/2024 रजू दिनांकः 19.11.2024 रजि0 न0 2024/265

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री पुष्यमित्रसिंह देव, निवासी 7, 8 हरि मार्ग, गीता विहार, सेक्टर–22 के पास, महाराणा प्रताप सर्किल जगतपुरा, जिला जयपुर–302033 (राजस्थान)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर, जिला अलवर(राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 09.12.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 24.08.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 02.12.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/2273 दिनांक 28.11. 2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपील प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 18.10..2024 के परिपेक्ष्य में सूचना नही मिलने/किए गए विनिश्चय के विरूद्व आक्षेप व्यक्त किया है जिसके कम में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर, अभिलेख पर उपलब्ध/संधारित 13 पृष्ठीय सूचना, कार्यालय के पत्र सं. लो.सू.अ./RTI/ 2024/2087 दिनांक 05.11.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को पंजीकृत–पत्र के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 24.08.2024 के बिन्दु सं. 1 अन्तर्गत "Land title Change" संबंधी नियमो की प्रति/व्याख्या चाही गई जो लोक प्राधिकारियों द्वारा रखे जाने की श्रैणी में नहीं है, संबंधित विभागीय वेबसाईट का स्वंय अवलोकन कर अथवा किसी भी विधि सलाहकार से संपर्क स्थापित कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है, बिन्दु सं. 3 विशिष्टीपूर्ण नहीं है, लोक सूचना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण स्वरूप/प्रश्नात्मक है जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के आलोक में अदेय है, शेष बिन्दु सं. 2 में संबंधित प्रा0 पत्र दिनांक 06.12. 2023 की प्रति संलग्न नहीं होने के कारण कार्यालय अभिलेख में सर्च कराया जाना संभव नहीं है, तथापि अभिलेख पर उपलब्ध सूचना से उक्तानुसार संसूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर, अभिलेख पर उपलब्ध/संधारित 13 पृष्ठीय सूचना, कार्यालय के पत्र सं. लो.सू.अ./RTI/2024/2087 दिनांक 05.11.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को पंजीकृत–पत्र के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि कमांक 2274 दिनांक 28.11.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)